रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1132] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2003/अग्रहायण 28, 1925

No. 1132] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2003/AGRAHAYANA 28, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1444(अ).—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 में संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 में नियम 4 के उपनियम 4.1 में, खंड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा :—

"(8) परिषद, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) या किसी अन्य अनुमोदित संगठन से अवशिष्ट मानीटरिंग के लिये सहायता ले सकती हैं।"

[फा. सं. 6/3/2000-ईआई एंड ईपी]

एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना का.आ. 277(अ) द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) तारीख 4 मार्च, 2002 में प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2003

S.O. 1444(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. In the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, in rule 4, in sub-rule 4.1, after clause (7), the following clause shall be inserted :—

"(8) The Council may seek the assistance of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) or any other organisation approved by it for residue monitoring."

[F. No. 6/3/2000-EI&EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.

Note :— The principal notification was published *vide* S.O. 277(E) in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th March, 2002.

3761 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.